

जिल्ला

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

हिण्डोली

सम्पत्ति मुकदमा.....

वर्ग.....

सन्.....

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

29/9/21

पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि खसरा नम्बर 2174, 2175, 2176, 2177 है जिनका कुल रकबा 1.12 बीघा है जो प्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में खातेदारों का विवरण है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की जमीने है जिसमें कच्चा घर भी था। उसके पूर्व की तरफ खसरा नम्बर 2172/6014 की जमीन है जो जमाबंदी में गोपी वगो के हिस्से में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 गोपी व लक्ष्मण के उत्तराधिकारी है। प्रार्थीगण के खाते की जमीन फिर अप्रार्थी के खाते की जमीन फिर बून्दी जयपुर रोड स्थित है जो पूर्व की स्थिति है। अप्रार्थी की जमीन से रास्ता प्रार्थीगण के खाते में जाता है। पूर्व से ही हम आ-जा रहे है। भूरा के 3 पुत्र थे हमने इनको अप्रार्थी बनाया है। हमारा पुराना नम्बर खसरा नम्बर 1948 था। प्रार्थी के पूर्वज कजोड ने ग्राम पंचायत में आवेदन दिया था व पंचायत ने 10 फिट चौड़ा रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया था। अप्रार्थीगण भूरा के भी इस आदेश दिनांक 11.10.1972 पर हस्ताक्षर है। रास्ते के आदेश के विरुद्ध अपील 1973 में जिला कलक्टर ने खारिज कर दी थी। वर्तमान खसरा नम्बर 2175 में उक्त रास्ते को दर्शाया गया है। यह रास्ते की जगह बंद करना चाहते है। इन्हे ताफैसला वाद पाबंद किया जावे।

वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि खसरा नम्बर 2172/6014 के हम अप्रार्थी खातेदार है। उक्त भूमि के स्वामी अप्रार्थी है जो मौके पर काबिज है। प्रथम दृष्टया मामला हमारे पक्ष में है। मौके पर स्थित डोटेड रास्ते को यह रास्ता बताना चाहते है। इनकी भूमि पर जाने के लिए पहले से ही सी0सी0 रोड बना हुआ है। खसरा नम्बर 2173 सामलाती चाह0 है। खसरा नम्बर 2175 के पूर्व में अप्रार्थी

hkr

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

की भूमि है। सेन्टलमेन्ट के दौरान मौके पर जो भी रास्ता उपलब्ध होता तो उसे दर्ज करते परन्तु मौके पर कोई रास्ता था ही नहीं। सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में है। हमे अपूर्ण्य क्षति होगी। गुणमाला व अविनाश जैन रजिस्टर्ड केता है। जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को कोर्ट से निरस्त नहीं कराते तब तक घोषणा चल ही नहीं सकती है।

वकील अप्रार्थी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मौके पर प्रथम दृष्टया विवाद विधमान है। अधिकार क्षेत्र के बारे में इन्होंने आपत्ति की है, रास्ते के मामले में सुखाधिकार तो सिविल कोर्ट को ही है, परन्तु हम जो क्लेम कर रहे है वह रास्ता कृषि भूमि का भाग है। अपने समर्थन में विनिर्णय 1997 Part 3 RLW Page 1723, DNJ 2013 PART 3 PAGE 1352, 2019 PART 3 DNJ PAGE 934 पेश किये है, जिसके खण्डन में वकील अप्रार्थी ने कहा कि उक्त विनिर्णय इस प्रकरण में चस्या नहीं होते है। जिला कलक्टर के आदेश की हमने अपील कर रखी है। इनके रास्ते का अमल क्यों नहीं हुआ है व निर्णय के पालना की अवधि 12 वर्ष है जो कि इन्होंने मियाद अवधि बाद पेश किया है। खण्डन में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि सेन्टलमेन्ट को रास्ता दर्ज करने का अधिकार नहीं था। रास्ता मौके पर इनको भूमि आंवटन होने से पहले ही था। इन्होंने भूमियां किसी को भी बेचान की हो हमे तो जिनसे आपत्ति है उन्ही को पक्षकार बनाया है। उक्त पूरे खसरे नम्बर के लिये आप ही जिम्मेदार है।

हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। बाद मनन प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद वर्तमान में अपीलीय न्यायालय में लम्बित है। साथ ही न्यायालय मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि को सरक्षित करना उचित समझता है ताकि अनावश्यक वाद बहुलता ना हो।

अतः न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 04.11.2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कन्फर्म (Confirm) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

hkr
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बूंदी)